आवंटन
अनुदान संख्या–14
लेखाशीर्षक–4235608000324

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

सेवा में,

1–जिला पंचायत राज अधिकारी,
जनपद–लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, बरेली, इलाहाबाद प्रतापगढ़, फतेहपुर, अमेठी, गोण्डा, बहराईच कन्नौज, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ, जालौन, हापुड़, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, देवरिया, एवं कुशीनगर।

2–उपनिदेशक (पं०)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय,उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/134/2017–1/585/2017 लखनऊः दिनांक 12 मार्च, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–10/2018/497/33–3–2018–100(21)/2014, दिनांक 28 फरवरी 2018 एवं तद्क्रम में संशोधित शासनादेश सं0–12/2018/637/33–3–2018–100(21)/2014 दिनांक 09 मार्च, 2018 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि **रू0–1000.00 लाख** के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि **रू0–998.76 लाख** उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.02.2018 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या–05 में इंगित कुल रू0 **2.4969 लाख** निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट–1) तथा कालम संख्या 09 व 12 में इंगित कुल **रू0 996.2631 लाख** की धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट–2) इस प्रकार कुल रू0 **998.76 लाख (रूपया नौ करोड़ अट्ठान्नबे लाख छियत्तर हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि आवंटित की जाती हैः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2017–18 में प्राविधानित एवं आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।
2. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
3. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
4. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
5. इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।
6. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टयों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
7. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2017–18 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 शासनादेश सं०:8/2017/बी–1–1190/दस –2017–231/2017 दिनांक 03 अगस्त 2017, कार्यालय ज्ञाप सं०:12/2017/बी–1–1455/दस–2017–231/2017 दिनांक 20 नवम्बर 2017 तथा वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं०–20/2017/बी–2–1775/दस–2017 –244/2017 दिनांक 27 दिसम्बर 2017 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगें।
9. उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
10. उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक "4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय–03–ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास–24–वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायगा।
11. इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलो का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका/कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों/शर्तो का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।
12. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
13. जनपद स्तर पर अन्तेष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिये नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जो निर्माण की मासिक आख्या निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
14. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त किया जायेगा।
15. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगें।
16. धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–100 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा०/134/1–2017 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
3. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. सम्बन्धित, मण्डलीय उपनिदेशक (प0), उ0प्र0 ।
8. उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
9. आहरण/वितरण अधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018

आवंटन दिनांक-12/03/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-134-2017-1-585-2017

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-585-2017

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

03 - ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
2	मुजफ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
4	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
5	अलीगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
6	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
7	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
8	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
9	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
10	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
11	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
12	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
13	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
14	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
15	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
16	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
17	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
18	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
19	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
20	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
21	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
22	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 4859820
23	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
24	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 7289730	7289730 7289730
25	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
26	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
27	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
28	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
29	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
30	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
31	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
32	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2429910 2429910	2429910 2429910
	योग	वर्तमान प्रगामी	99626310 99626310	99626310 99626310

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ छियानवे लाख छब्बीस हजार तीन सौ दस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया नौ करोड़ छियानवे लाख छब्बीस हजार तीन सौ दस

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्या-10/2018/497/33-3-2018-100(21)/2014

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक:28फरवरी, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू. 1000.00 लाख में से रु 998.76 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/265/2016-5/30/2017 दिनांक 16 फरवरी, 2018 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2/2105/33-3-2014-100(21)/2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2017-18 में उक्त योजना के लिए प्राविधानित धनराशि रू. 1000.00 लाख में से रु 998.76 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2017-18 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(2) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(3) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल आर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बनिधत जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2017-18 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।

(9) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास -24-बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(11) इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों /शर्तो का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) शासकीय व्यय में मितव्ययतता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(15) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(16) जनपद स्तर पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017, शासनादेश संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017, कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त करने हेतु फांट

धनराशि लाख रू0 :

अनुदान संख्या-14

क्र0सं0	जनपद का नाम	निर्मित किये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या	रूपया 24.36 लाख प्रति इकाई की दर से कुल प्रस्तवित धनराशि	कार्यालय व्यय/कंटिजेन्सी हेतु प्रविधानित कुल धनराशि का 02 प्रतिशत							अत्येष्टि स्थल धनराशि तथा ग्रा ग्राम पंचायत स्तर की कंटिजेन्सी की धनराशि (कालम संख्या-11) को सम्मिलित करते हुए प्रस्तवित धनराशि
				निदेशालय स्तर (0.25 प्रतिशत)	मण्डल स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	जिला स्तर (0.25 प्रतिशत)	ब्लाक स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	कालम संख्या का (6+7+8) योग	कालम संख्या का (5+9) योग	ग्राम पंचायत स्तर पर (01 प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लखनऊ	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.116
2	वाराणसी	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.116
3	जौनपुर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.116
4	गाजीपुर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.116
5	मऊ	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.116
6	बलिया	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.116
7	सिद्धार्थनगर	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.349
8	बरेली	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.116

9	इलाहाबाद	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
10	प्रतापगढ़	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
11	फतेहपुर	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
12	अमेठी	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
13	गोण्डा	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
14	बहराइच	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
15	कन्नौज	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
16	मुरादाबाद	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
17	सम्भल	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
18	रामपुर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
19	बिजनौर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
20	अमरोहा	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
21	मथुरा	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
22	फिरोजाबाद	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
23	अलीगढ़	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
24	मेरठ	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
25	जालौन	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
26	हापुड़	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
27	बुलन्दशहर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
28	सहारनपुर	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
29	मुजफ्फरनगर	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
30	शामली	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164

31	देवरिया	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.232
32	कुशीनगर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.116
	योग-	41	998.7600	2.4969	2.4969	2.4969	2.4969	7.4907	9.9876	9.9876	988.7724

(रूपये नौ करोड़ अठानवें लाख छियत्तर हजार रूपये मात्र)

नोट:- 1. कालम संख्या 5 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 तथा कालम संख्या 6 7 व 8 की कुल कालम संख्या 9 में इंगित धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

शासनादेश संशोधन

संख्या- 12/2018/637/33-3-2018-100(21)/2014

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री मिश्रा
09.03.18

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 शासन।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय- व्ययक में प्राविधानित धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-10/2018/491/33- 3- 2018-100(21)/2014 दिनांक 07.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रु. 1000 लाख में रु. 998.76 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 (14) में **''स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात्** अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।'' के आदेश दिए गए हैं।

शासनादेश दिनांक 28.02.2018 के आदेश के क्रम में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के समाप्त होने में मात्र 01 माह का समय शेष है। अत: अंत्येष्टि स्थल हेतु आवंटित की गयी धनराशि को दो किश्तों में आहरित किए जाने एवं धनराशि को जनपदों को अवमुक्त किए जाने में कठिनाई होगी।

अत: आपके पत्र संख्या-1/1093/2017-1/585/2017 दिनांक 07.03.2018 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 28.02.2018 के प्रस्तर-1 (14) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

''स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त किया जायेगा।''

http://shasnadeshup.nic.in

उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा, शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in